

184

श्रीप्रमुख न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वा लिटर म.प.।
PBR/निगरानी/रत्नाम/शु.श/2017/2514

1. पुषराज पिता श्री शैतानमलजी जाति महाजन

2. सुरजबाई विधवा शैतानमलजी जाति महाजन

निवासीगण ग्राम डोंडर तहसील जावरा जि. रत्नाम । :----- प्रार्थीगण
विरुद्ध

शु.

मापनीय न्यायालय के अधिन के पालन में प्रतिद्वारा मापनाम मुक्त के जारीता
की निगरानी के विधि में नाम बताया दिवि बधि :-

उदित दिनांक 13/3/2018 के पालन में बताया दिवा नवा --

मुक्त मापनाम के जारीताम के नाम :-

111- रामनबाबाई पति रत्ने मापनामकी जाति नाथरी आयु 45 साल
धन्धा- उती,

121- नन्दलाल पिता रत्ने मापनामकी जाति नाथरी, आयु 34 साल
धन्धा- उती,

131- मांगुबाई पिता रत्ने मापनामकी जाति नाथरी आयु 30 साल,
धन्धा -उती तभी निवासीगण ग्राम डोंडर तहसील जावरा
जिलारत्नाम 130901

दिनांक 23/3/2018

प्रार्थीगण द्वारा अभिभावक

(Signature) 28/5/18


सुरजबाई

तथा विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण को कब्जा भी करा दिया था तथा मौके
पर अनीताबाई पति बालू निवासी ग्राम माननडेडा व दुर्गाबाई पति सुरेश जाति
नाई व ज्योतीबाला पति हेमन्त कोलंकी व ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/2514

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।</p> <div style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </div>	